

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

क्रमांक :- रसद / 6ए / निरस्तारण / 25 / 5753

दिनांक :- 28.11.2025

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जक्त सामग्री के मामले में गाननीय न्यायालय जिला कलक्टर एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत निर्णयानुसार जक्त सामग्री का निरस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा निम्नानुसार किया जाना है :-

क्र.सं.	स्थल	सामग्री व मात्रा	अनुमानित वाजार मूल्य कर सहित	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	नीलामी का समय व दिनांक
1	महादेव होटल, बिसरासर, तहरील पल्लू जिला हनुमानगढ़	40200 ली. पेट्रोलियम पदार्थ 01 लोहा ड्रम 24 प्लास्टिक ड्रम 04 कैंनी 01 विद्युत मोटर 02 डिस्पेंसर मशीन	16 लाख	32000/-	09-12-2025 को प्रातः 11.00 बजे

नीलामी की शर्तें :-

- नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी/शर्तों के संबंध में जिला रसद अधिकारी कार्यालय हनुमानगढ़ में सम्पर्क में किया जा सकता है।
- नीलामी से संबंधित योग्य सामग्री का नमूना संबंधित स्थल पर देखा जा सकता है।
- नीलामी से संबंधित निर्धारित धरोहर राशि बोली दाता को जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ के नाम से जारी ड्राफ्ट/बैंक चेक/नगद जमा करवानी होगी।
- बोली से पूर्व बोली दाता पेट्रोलियम पदार्थ का नीलामी स्थल पर निरीक्षण कर सकता है।
- बोली दाता स्वयं उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकेगा।
- नीलामी आइटम जैसा है जहां है तथा जैसी स्थिति में है के आधार पर विक्रय किया जायेगा।
- बोली दाता के पास विधि सम्मत भण्डारण अनुज्ञा पत्र होना आवश्यक है।
- उच्चतम बोली दाता के पक्ष में बोली छुटने पर बोली दाता को कुल कीमत का 1/4 भाग राशि मांगे पर ही जमा करवानी होगी तथा 3/4 राशि बोली स्वीकृति के तीन दिवस में जमा करवाकर माल सुपुर्दगी पर प्राप्त करना होगा। सुपुर्दगी पत्र जारी होने के बाद तत्काल माल अपने कब्जे में लेना होगा निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि तथा अगिम्न जमा राशि जक्त कर ली जावेगी।
- नीलामी की सूचना विभाग की वेबसाइट www.food.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

10 सफल बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त कर (आयकर जीएसटी/वैट) इत्यादी जो भी हो देना होगा।

11 पेट्रोलियम पदार्थ उठाने तक का समस्त खर्चा (जहां पदार्थ पड़ा है) सफल बोली दाता को वहन करना होगा।

12 किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।

13 पेट्रोलियम पदार्थ खरीद के पश्चात बोली दाता उक्त पदार्थ का विधि सम्मत प्रयोग करेगा एवं प्रयोग के पश्चात End Use Certificate जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत करना होगा।

14 किसी भी वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र, हनुमानगढ़ होगा।


जिला रसद अधिकारी
हनुमानगढ़

दिनांक :-

क्रमांक :-सम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान् जिला कलक्टर/अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
- 2 पंभारी अभियोजन/लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
- 3 नीलामी कमिटी (सदस्य).....
- 4 नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़/कार्यालय हाजा।
- 5 एससीपी खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञापित विभाग की वेबसाइट <https://food.raj.nic.in> पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 6 रक्षित पत्रावली।


जिला रसद अधिकारी
हनुमानगढ़